



फर्द अहकाम  
(नियम 26)

किस्म मुकदमा- धारा 53,188 राज0 काश्त0 अधि0  
लक्ष्मीनारायण बनाम कन्हैया लाल  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगढ, जिला-अजमेर

नम्बर-52 वर्ष:-2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.8.2024	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री सुरेश गोडेश्वर ने अन्तर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। वाद-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक-10.10.2024 को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)</p>	
10-10-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक .....5-12-24..... को पेश हो।</p>	
5-12-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी उपस्थित नहीं। तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 6-3-25 को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)</p>	
6-3-25	<p>बार एसो. स्थगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक .....1-5-25..... को पेश हो।</p>	
1-5-25	<p>बार एसो. स्थगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक .....26-6-25..... को पेश हो।</p>	
26-6-25	<p>बार एसो. स्थगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक .....21-8-25..... को पेश हो।</p>	
1-8-25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलवाई गयी बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वकील</p>	

मु.न. 52/24 लक्ष्मीनारायण / कन्हैयालाल

वादी में से कोई उपास्थित नहीं। अतः वादी का वाद  
अदम हाजरी। अदम पैरवी में खारिज किया जाता

है

फावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम  
है।

॥  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)